

डिकी बमुकदमे ईब्तदोई
(अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- श्री जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण सं. 138/2026

हरविन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ (राज.)

--वादी

बनाम्

1. रणजीत सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ (राज.)
2. किरणदीप कौर पुत्री रणजीत सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली हाल आबाद भगतपुरा
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया

--प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आरटीए

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते
इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री हरबंश सिंह झोरड़ अभिभाषक वादी मिन
जामिन मुद्दई परविन्द्र सिंह अभिभाषक प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर
हुक्म दिया जाता है व यह डिकी दी जाती है कि चक 16 बीजीपी ज.सं. 2070-73
जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 145/99 में 0.759 है. नहरी
कृषि भूमि तथा चक 15 बीजीपी ज.सं. 2072-75 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022) से
स्थायी के खाता सं. 267/42 में 3.542 नहरी/बारानी 1 मय गै.मु. कृषि भूमि में से
2.530 है. नहरी/बारानी 1 मय गै.मु. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया
जाकर चक 16 बीजीपी से प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाता तथा चक
15 बीजीपी में प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जाकर 1.012 है. नहरी कृषि
भूमि किया जाता है।

निज..........मुब्लिक..........बाबत..........खर्चा मुकदमे के मय शूद वा
शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..........को अदा करे। खर्चा
पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।

यह डिकी बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनाक.....19.5.2024.....
को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया